

गुाएग / LRe / 237 दिनांक 03/10/25
2025/307

सेवा में

ग्रामीण सेवा सिविल अभियान-2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

बेगूं (राज.)

विषय: अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने संबंध।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का समामेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक होगा। अधिसूचना के अनुसरण में प्राची देवीमाम पित हेमराज के नाम पटवार मण्डल 271, 83, 98, 18 ग्राम 271, 83, 98, 18 में वर्तमान रजिस्ट्रेशन जमाबन्दी के खत संख्या 271, 83, 98, 18 बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक भूमि रहन दर्ज रेकॉर्ड है, जिसमें अधिसूचना अनुसार राजस्थान ग्रामीण बैंक 271, 83, 98, 18 दर्ज करवाने की कृपा करावे।

देवीमाम

पटवारी प्राची

दिनांक / /2025

रिपोर्ट पटवार हस्ता 2710361 तहसील-बेगूं (राज.)

महोदयजी,

भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का समामेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक से प्रस्तावित संशोधन किये जाने उचित है।

म. जमिंदार निरीक्षक

पटवारी पटवार हस्ता

कार्यालय तहसीलदार बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक राजस्व/2025/.....

दिनांक / /2025

मूल ही कार्यवाही पर श्रीमान् सिविल प्रभारी महोदय को पेशित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं म. जमिंदार निरीक्षक अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के बजाय राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है।

तहसीलदार बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं (राज.)

क्रमांक राजस्व/2025/.....

दिनांक 03/ 10 /2025

इस रिपोर्ट तहसीलदार बेगूं के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हस्ता राजस्व रेकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी,
बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)